



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

संख्या:- 01 / 11 / PCS(M)-21 / G-1 / 2023-24

दिनांक : 05 अप्रैल, 2024

## मुख्य परीक्षा परिणाम (दिव्यांगजन उपश्रेणी)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा— 2021 के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या: 95 ऑफ 2024 (एस / बी), रिट याचिका संख्या: 68 ऑफ 2023 (एस / बी), रिट याचिका संख्या: 85 ऑफ 2023 (एस / बी) तथा रिट याचिका संख्या: 96 ऑफ 2023 (एस / बी) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 एवं 20.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दिव्यांगजन उपश्रेणी के 04 पदों के सापेक्ष दिनांक 23 फरवरी, 2023 से 26 फरवरी, 2023 को आयोजित मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को औपबन्धिक (Provisional) रूप से सफल घोषित किया जाता है—

1. समेकित पद (डिप्टी कलक्टर, पुलिस उपाधीकारी, वित्त अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक, खण्ड विकास अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सहायक निबन्धक, कारागार अधीक्षक, सहायक आयुक्त राज्य कर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राज्य कर अधिकारी पद हेतु)

103116	132481	138637	140852	142808	145534	146954
194958	208109	283210	286469	306043	<b>TOTAL-12</b>	

2. उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर (प्रारंभिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) विधि अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, मण्डलीय विधि अधिकारी (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा) (शिक्षा विभाग)

140852	142808	283210	<b>TOTAL-03</b>
--------	--------	--------	-----------------

3. बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

103116	146954	176827	<b>TOTAL-03</b>
--------	--------	--------	-----------------

नोट— उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अहंता, स्थायी निवास, लम्बवत् / क्षेत्रिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी

अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार के दौरान समस्त दावों एवं अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

**2.** मुख्य परीक्षा में सफल उक्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 22 अप्रैल, 2024 को निर्धारित है। इस सम्बन्ध में विवरण आयोग की वेबसाईट पर यथासमय पृथक से प्रसारित किया जाएगा।

**3.** अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स से सम्बन्धित सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् आयोग की वेबसाईट [www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in) पर प्रसारित किया जाएगा। अतः कृपया अभ्यर्थी इस संबंध में पृथक से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत कोई अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

-Sd-  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव